



अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या 485 (II) / 2010-11

आदेश फलक

आवेदन की तिथि- 5-7-10
अधिसूचना तिथि- 6-7-10
निर्गत तिथि - 7-7-10

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
13/5/10	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती <u>अमिता वता</u> पिता/पति <u>श्री/श्रीमती चंद्र नाथ वता</u> साकिम <u>31-1-91</u> धाना <u>74/10</u> जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा <u>काला इलाका</u> मौजा नं० <u>12</u> खाता नं० <u>49/78</u> प्लॉट नं० <u>2441, 2438</u> <u>रकबा 4.95980 (3 ड०)</u> दलील सं० <u>3656</u> दिनांक <u>22-3-10</u> के द्वारा श्री/श्रीमती <u>श्री/श्रीमती अमिता एवं वता</u> से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>28-5-10</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद</p>	<p><i>(Handwritten signatures and notes)</i></p>
28/5/10	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि रैयती खाते की है। जमाबंदी सं० <u>49 एवं 78</u> में विक्रेता के/विक्रेता के <u>पिता</u> <u>एवं उपस्थापित</u> के नाम लगान से रसीद कट रहा है। आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। निबंधन धनबाद/कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की रसिद को कोषागार में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है। प्रश्नगत भूमि गैर आबाद, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक को जाँच प्रतिवेदन एवं अनुरासा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को..... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद</p>	<p><i>(Handwritten signatures and notes)</i></p>

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया।
पतिलिपिक / टंकक

मैंने मिलान किया।
(Signature)

पमाणित सच्ची प्रतिलिपि
28/5/10 अं० 14-61
07-7-10
पधान सहायक,
अंचल कार्यालय
धनबाद।

सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रयती) का नामान्तरण (टाइपल-वारंट) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

जिला राजसूरी अमरसल राजसूरी सिकल/अंचल राजसूरी हल्का राजसूरी इस्टेट का नाम राजसूरी

क्रम संख्या	पूरी संख्या 27 सं	शेष संख्या
1	कम संख्या	1
2	नामान्तरण	2
3	शेष संख्या 27 सं	3
4	शाना और शाना संख्या	4
5	नामान्तरण और संबद्ध अभ्युक्ति की संख्या	5
6	नामान्तरण मंजूर करनेवाला अधिकार और आदेश की तारीख	6
7	नामान्तरण किस कारण से होना है विली, दान या बदलाव हुआ है ?	7
8	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा ब्यौरा	8
9	कर्मचारी द्वारा हल्का की शुद्धि की तारीख	9
10	अभ्युक्ति	10

जानपन की तिथि - 5-7-10
अधिसूचना तिथि - 6-7-10
निर्माण नं० - 7-7-10



शुद्धि संख्या 200 गां राजसूरी

कर्मचारी लकी सं० 12 को जानकरी और आवश्यक कारवायें से लिए भेजी जाती हैं।

सिकल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी राजसूरी

सिकल/अंचल

भेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया

प्रतिनिधिक टंक

भने विधान किया प्रमाणित सच्ची प्रतिनिधि

भने नक

प्रधान सहायक अचल कार्यालय धनबाद ।